

नव्यान्ध प्रदेश

देश

आंध्र विस्फोटक मामले में NIA ने दूसरे आरोपी पर चार्जशीट दाखिल की

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने आंध्र प्रदेश में 2025 के एक मामले के संबंध में दूसरे व्यक्ति के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है, जिसमें विस्फोटक बरामद किए गए थे।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने 2025 में आंध्र प्रदेश में उत्पन्न एक महत्वपूर्ण मामले में औपचारिक रूप से दूसरे व्यक्ति पर आरोप तय किए हैं। यह कदम आतंकवाद की गतिविधियों के लिए समझे जाने वाले विस्फोटक की पिछली बरामदगी के बाद आया है। एजेंसी की कार्रवाई संभावित आतंकी साजिशों को नाकाम करने पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने का संकेत देती है। आरोप पत्र कानूनी कार्यवाही में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो एक और व्यक्ति को जांच के दायरे में लाता है। आरोपों की विशिष्ट प्रकृति और आरोपी की पहचान से संबंधित अतिरिक्त विवरण जांच के आगे बढ़ने के साथ अपेक्षित हैं। एनआईए ऐसे मामलों का कड़ाई से पीछा करके राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

स्रोत: The Munsif Daily



चित्र: The Munsif Daily (via NewsData)

देश

आंध्र प्रदेश आतंकी मामले में दूसरे आरोपी के खिलाफ NIA की चार्जशीट



चित्र: Asianet Newsable (via NewsData)

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने 2025 में आंध्र प्रदेश से उत्पन्न हुए एक आतंकी मामले में दूसरे आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर आगे की कार्रवाई की है। इस व्यक्ति की पहचान शेख मंसूर के रूप में हुई है। जांच के अनुसार, शेख मंसूर, शेख अमनउल्ला का सहयोगी है, जो इस मामले में पहले से ही शामिल है। मंसूर को पकड़े जाने के समय कथित तौर पर एक फर्जी पहचान के साथ रह रहा था। NIA की जांच में आरोप लगाया गया है कि मंसूर ने विस्फोटकों की आवाजाही को सुगम बनाने में भूमिका निभाई थी। ये विस्फोटक कथित तौर पर नियोजित लक्षित हत्याओं में इस्तेमाल के लिए थे, जो कथित साजिश की गंभीरता को दर्शाता है।

स्रोत: Asianet Newsable